

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 221 सन 2019

अनवान :-

1. रोताश पुत्र स्व श्योनारायण जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र 3. जसवन्त पि० स्व श्योनारायण जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णा 5. सुमेस्ता 6. जैता पुत्रीया स्व श्योनारायण जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रामस्वरूप पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. कृष्ण कुमार 9. सुरेश कुमार, 10. सुमन 11. अजमेर पुत्र / पुत्रीयान रामस्वरूप जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
12. बनवारी पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
13. विनोद कुमार, 14. सतवीर, 15. सुनीता, 16. रीटा, 17. मंजु-पुत्र / पुत्रीयान बनवारी जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
18. विमला 19. गिरदावरी 20. धापा 21. गुडडी 22. बाला पुत्रीयान नत्थुराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 28/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 39/36 के खसरा न० 229/21.0290 है जिसमें संयुक्त तौर 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानुराम वल्द मोतीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानुराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने पुर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानुराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 22 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,10 ,11 ,15 ता 22 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,10 ,11 ,15 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

  
उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 बहिब के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नानुराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,10 ,11 ,15 ता 22 ,जो वादी की बहन /बुआ ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 23 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपनी शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 39/36 के खसरा न0 229/21.0290 है व जिसमें संयुक्त तौर 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानुराम वल्द मोतीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानुराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानुराम वल्द मोतीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 22 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,10 ,11 ,15 ता 22 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,10 ,11 ,15 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 ,12 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उप सप्टाधिकारी (राजस्व)  
तौर (हलमान्जक)

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 39/36 के खसरा न0 229/21.0290 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज


भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 एवं पुरानी जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि नानुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानुराम पुत्र मोतीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6, 10, 11, 15 ता 22 जो वादी की बहने/बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6, 10, 11, 15 ता 22 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 7 ता 9, 12 ता 14 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 7 ता 9, 12 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6, 10, 11, 15 ता 22 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 39/36 के खसरा न0 229 की कुल 21.0290 हैक में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है का नाम कलमजून किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
अध्यक्ष (राजस्व)  
नोडर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

.. ( आर्डर 20, कुल 6-7 जाया दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. रोताश पुत्र स्व श्योनारायण जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र 3. जसवन्त पि0 स्व श्योनारायण जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णा 5. सुमेस्ता, 6. जैता पुत्रीया स्व श्योनारायण जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रामस्वरूप पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. कृष्ण कुमार 9. सुरेश कुमार 10. सुमन 11. अजमेर पुत्र / पुत्रीयान रामस्वरूप जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
12. बनवारी पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
13. विनोद कुमार 14. सतवीर 15. सुनीता 16. शीटा 17. मंजु पुत्र / पुत्रीयान बनवारी जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
18. विमला 19. गिरदावरी 20. धापा 21. गुडडी 22. वाला पुत्रीयान नत्थुराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 196 सन 2019 निर्णय दिनांक- 28/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 39/36 के खसरा न0 229 की कुल 21.0290 हेक् में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिव 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 बहिव 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/07/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )